



कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी शिक्षा संहिता के अध्याय IV (अनुच्छेद 28 से 30) के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधान/दिशा-निर्देश जो कि समय-समय पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली द्वारा संशोधित किये जाते हैं के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्रीय विद्यालय सीटीपीपी छबड़ा हेतु प्राचार्य द्वारा प्रस्तावित व अध्यक्ष वि.प्र.सं. की संस्तुति के आधार पर दिनांक 31.01.2023 से 30.01.2026 तक निम्नलिखित पदाधिकारियों की विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का अनुमोदन किया जाता है:-

क.स.	पद	नाम
01	अध्यक्ष	श्रीमती संगीता श्रुंगी, मुख्य अभियन्ता सीटीपीपी छबड़ा
02	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य/नामित सदस्य	श्री. आर. पी. मीणा, उप मुख्य अभियन्ता (पी एंड ए) सीटीपीपी छबड़ा
03	प्रसिद्ध शिक्षाविद	श्री रामचरण मीणा प्राचार्य (कॉलेज शिक्षा)
04		श्री बाल किशन शर्मा प्राचार्य (राज०उ०मा०वि० भूलोन)
05	संस्कृति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति	श्री. कृष्ण प्रसाद पण्डा, कार्मिक अधिकारी, सीटीपीपी छबड़ा
06	अभिभावक सदस्य	श्री अनिल सोनी, रसायनज्ञ (छात्र-माधव सोनी -V)
07		श्रीरत्नेश राठी प्लांट अटेंडेंट-I (छात्र-शयोग्य राठी - VII) (छात्र - लवीश राठी बालवाटिका -III)
08	ख्याति प्राप्त सीनीयर चिकित्सक	श्री डॉ. अशोक मेहता, चिकित्सा अधिकारी, सीटीपीपी छबड़ा
09	श्रेणी-1 सेवा से संबंधित अनु.जाति/अनु.ज.जा.का एक प्रतिनिधि/अनु.जाति/अनु.ज.जा का एक विख्यात वैज्ञानिक या संस्कृति/शिक्षा/खेल का विख्यात व्यक्तित्व, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य	श्री. आर. के. सांखला अधीक्षण अभियन्ता, सीटीपीपी छबड़ा
10	अध्यापक प्रतिनिधि	श्री सुरेश कुमार (स्नातकोत्तर शिक्षक रसा विज्ञान केवि सीटीपीपी)
11	प्राचार्य/सदस्य सचिव	श्री रामकरण मीणा (केन्द्रीय विद्यालय सीटीपीपी छबड़ा)
12	सहयोजित सदस्य	श्री आशिष खण्डेलवाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी सीटीपीपी छबड़ा
13	अध्यक्ष, सी.जी.ई डब्ल्यू सी सी	श्री नारायण पालीवाल, पोस्ट मास्टर ऑफिस छबड़ा
14	तकनीकी सदस्य	श्री ओ पी मीणा, अधीक्षण अभियन्ता, सिविल सीटीपीपी छबड़ा

कालाल मोरोडिया

(बी.एल.मोरोडिया)

उपायुक्त

वितरण:-

1. प्राचार्य के.वि. सीटीपीपी छबड़ा को उनके पत्र संख्या F.No.23 /KVCTPP/ Chhabra/ 2023-24/510 dated 23.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, के.वि. सीटीपीपी छबड़ा ।
3. सहायक आयुक्त (प्रशा) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या) नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
4. गार्ड फाईल ।